(5)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : संजय कुमार गोरा, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 9 / 2022
दायर दिनांक : 10.03.2022
निर्णय दिनांक : 31.07.2023

उनवान

1. अर्जुन पुत्र रामसहाय, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
2. कन्हैयालाल पुत्र गोरधन, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
3. उगन्ती पत्नी स्व. कन्हैयालाल पुत्र नाथूराम, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
4. विनोद पुत्र स्व. कन्हैयालाल पुत्र नाथूराम, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
5. घनश्याम पुत्र स्व. कन्हैयालाल पुत्र नाथूराम, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
6. हेमराज पुत्र स्व. कन्हैयालाल पुत्र नाथूराम, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
7. रेखा पुत्री स्व. कन्हैयालाल पुत्र नाथूराम, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
8. कमलेश पुत्र कंचन, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
9. छाजूराम पुत्र नाथूराम, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
10. जियालाल पुत्र स्व. कंचन, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
11. भगवती पत्नी स्व. कंचन, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
12. गंगूराम पुत्र स्व. भूरया, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
13. बद्रीराम पुत्र स्व. भूरया, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
14. जयसिंह पुत्र स्व. जयराम पुत्र स्व. भूरया, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
15. हरिसिंह पुत्र स्व. जयराम पुत्र स्व. भूरया, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
16. राजन्ती पुत्री स्व. जयराम पुत्र स्व. भूरया, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
17. केसन्ता पुत्री स्व. जयराम पुत्र स्व. भूरया, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
18. मुकेश पुत्र स्व. कंचन, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
19. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रूगनाथ, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
20. नारायणी पुत्री स्व. रूगनाथ, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
21. मोता पुत्री स्व. रूगनाथ, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
22. छोटी पुत्री स्व. रूगनाथ, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
23. पार्वती पुत्री स्व. रतनलाल, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
24. रमेश पुत्र स्व. कंचन, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
25. बसराम पुत्र रामसुख, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
26. [illegible]म पुत्री रामसुख, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

27. राजन्ती पत्नी खैरातीलाल, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
28. राधाकिशन पुत्र नाथूराम, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
29. रामचन्द्र पुत्र रामसहाय, जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा
30. प्रभाती पत्नी बाबूलाल पुत्री रामलाल, जाति बैरवा निवासी राधागोविन्दपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक
3. आईसीआईसीआई बैंक लि०, शाखा दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक
4. यूको बैंक, शाखा दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा व राधागोविन्दपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के रहने वाले हैं। अप्रार्थी संख्या 1 लैण्ड होल्डर है, जिसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवायी जाती है। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 को राहीन बैंक होने से प्रोफार्मा पक्षकार बनाया गया है। खातेदार कन्हैयालाल पुत्र नाथूराम के फौत गया उसके वारिसान प्रार्थीगण संख्या 3, 4, 5, 6, 7 खातेदार भूरया पुत्र पांच्या फौत हो गया उसके वारिसान प्रार्थीगण संख्या 12, 13, 14, 15, 16, 17 खातेदार रूगनाथ पुत्र काल्या फौत हो गया उसके वारिसान प्रार्थीगण संख्या 19, 20, 21, 22 खातेदार रतनलाल पुत्र सोहनलाल [redacted]त हो गया उसकी वारिस प्रार्थिया संख्या 23 है। खातेदार रूपादेवी फौत हो गयी उसके वारिसान पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड खातेदार हैं। वाके ग्राम जसोता पटवार हल्का जसोता तहसील दौसा जिला दौसा में कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.26 है०, खसरा नम्बर 1057 रकबा 0.17 है०, खसरा नम्बर 1058 रकवा 0.19 है०, खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.19 है०, खसरा नम्बर 1060 रकवा 0.16 है०, खसरा नम्बर 1061 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 1062 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 1063 रकवा 0.13 है०, खसरा नम्बर 1064 रकबा 0.15 है०, खसरा नम्बर 1065 रकवा 0.13 है०, खसरा नम्बर 1066 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 1067 रकवा 0.04 है०, खसरा नम्बर 1068 रकवा 0.09 है०, खसरा नम्बर 1069 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 1070 रकवा 0.11 है०, खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 1073 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 1074 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 1075 रकवा 0.17 है०, खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.20 है० कुल किता 21 कुल रकवा 2.72 है० स्थित है जिसके प्रार्थीगण एकमात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी हैं। इस पर प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि से किसी दीगर का कोई लेना–देना वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में फसल पैदावार करते हैं और प्रार्थीगण की कृषि भूमि के चारों ओर पूर्व में मिट्टी की कच्ची डोली लगी हुयी थी, जो वारिश से नष्ट हो गयी। अब प्रार्थीगण अपनी भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारों ओर मिट्टी की कच्ची डोली एवं तारबन्दी जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षार्थ लगाना चाहते हैं, जिससे प्रार्थीगण की भूमि की फसल को आकर जानवर नष्ट नहीं कर सकें। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि व उसकी फसल की

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

सुरक्षा रहे व प्रार्थीगण व पडौसी खातेदारान के मध्य किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं हो, विवाद खतम हो सके, इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि पर श्रीमान् न्यायालय के माध्यम से सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर वर्तमान में कब्जा काश्त प्रार्थीगण का है और प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण चाहते हैं कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की मेडबन्दी करवाते समय किसी दीगर खातेदार की भूमि प्रार्थीगण की भूमि में सम्मिलित न हो जाये और न ही प्रार्थीगण की भूमि मेडबन्दी से बाहर छूट जाये। इसलिए हर प्रकार के फसादो व विवादों से बचने के लिए प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र बावत् सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु मय शपथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त उपयोग उपभोग की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.26 है०, खसरा नम्बर 1057 रकबा 0.17 है०, खसरा नम्बर 1058 रकबा 0.19 है०, खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.19 है०, खसरा नम्बर 1060 रकबा 0.16 है०, खसरा नम्बर 1061 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 1062 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 1063 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 1064 रकबा 0.15 है०, खसरा नम्बर 1065 रकवा 0.13 है०, खसरा नम्बर 1066 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 1068 रकबा 0.09 है०, खसरा नम्बर 1069 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 1070 रकवा 0.11 है०, खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 1073 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 1074 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.17 है०, खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.20 है० कुल किता 21 कुल रकबा 2.72 है० वाके ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही गयी है। अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 3 के विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही गयी है। अप्रार्थी संख्या 4 ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 4 के विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही है। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम जसोता स्थित खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.26 है०, खसरा नम्बर 1057 रकबा 0.17 है०, खसरा नम्बर 1058 रकबा 0.19 है०, खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.19 है०, खसरा नम्बर 1060 रकबा 0.16 है०, खसरा नम्बर 1061 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 1062 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 1063 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 1064 रकबा 0.15 है०, खसरा नम्बर 1065 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 1066 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 1068 रकबा 0.09 है०, खसरा नम्बर 1069 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 1073 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 1074 रकबा 0.08 है०, खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.17 है०, खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.20 है० कुल किता 21 कुल रकबा 2.72 है० भूमि अर्जुन पुत्र रामसहाय 1/24, उगन्ती देवी पत्नी कन्हैयालाल 1/24, ओमप्रकाश पुत्र रूगनाथ 1/32, कन्हैयालाल पुत्र गोरधन 1/161, कमलेश पुत्र कंचन 1/120 राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा दौसा, घनश्याम पुत्र कन्हैयालाल 1/240, छाजूराम पुत्र नाथूराम 1/48, छोटादेवी पुत्री रूगनाथ 1/32, जियालाल पुत्र कंचन 1/120 राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा दौसा, नारायणी पुत्री रूगनाथ 1/32, प्रभाती पत्नी बाबूलाल 1/12, भगवती पत्नी स्व० कंचन 1/120 राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा दौसा, भूरा पुत्र पाच्या 1/4, मुकेश पुत्र कंचन 1/120 राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा दौसा, मोना पुत्री रूगनाथ 1/32, रेखा पुत्री कन्हैयालाल 1/240, रतनलाल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

सोहनलाल 1/16, रूपादेवी पुत्र कंचन 1/24 राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा दौसा, रमेश पुत्र कंचन 1/120 राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा दौसा, राजन्ती पत्नी खैरातीलाल 1/16, राधाकिशन पुत्र नाथूराम 1/48, रामचन्द्र पुत्र रामसहाय 1/24, विनोद पुत्र कन्हैयालाल 1/240, हेमराज पुत्र कन्हैयालाल 1/240 जाति बैरवा सा. देह के नाम दर्ज है, जो मुताबिक रिकॉर्ड है। वर्तमान में उक्त भूमि में एवं आस-पास की भूमियों में रबी की फसल खडी है। वर्तमान में सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना संभव नहीं है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि प्रार्थीगण स्वयं की भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। पत्थरगढी करवाये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 की ओर से कोई आपत्ति नहीं जतायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान उक्त भूमि एवं आस-पास की भूमियों पर खडी फसल कटने के पश्चात् पत्थरगढी करने में सहमति जतायी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अपने विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाहे जाने का कथन किया है एवं बहस के दौरान पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार ने पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। चूँकि प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रश्नगत आराजी के रिकॉर्डेड खातेदारों/उनके वारिसान द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं अप्रार्थीगण की ओर से किसी ने भी पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो, तो प्रार्थीगण की ग्राम जसोता तहसील दौसा स्थित खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 1057 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 1058 रकबा 0.19 है., खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.19 है., खसरा नम्बर 1060 रकबा 0.16 है., खसरा नम्बर 1061 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 1062 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 1063 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 1064 रकबा 0.15 है., खसरा नम्बर 1065 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 1066 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 1067 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 1068 रकबा 0.09 है., खसरा नम्बर 1069 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 1071 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1072 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 1073 रकबा 0.13 है., खसरा नम्बर 1074 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 1075 रकबा 0.17 है., खसरा नम्बर 1076 रकबा 0.20 है. कुल किता 21 कुल रकबा 2.72 है. का अनुभवी पटवारियों/भू-अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा